

राजस्व लोक अदालत "न्याय आपके द्वार" कैम्प 2015 ग्राम पंचायत कालादेह

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीम
(नरेन्द्र कुमार जैन पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)

कैम्प कोर्ट का स्थान :- ग्राम पंचायत कालादेह

निर्णय दिनांक:- 27.05.2015

1. श्री पुरणसिंह पिता रूपसिंह जाति रावत निवासी आमनेर बंगला का बाडिया तहसील भीम
2. श्री पुनमसिंह पिता रूपसिंह जाति रावत निवासी आमनेर बंगला का बाडिया तहसील भीम
3. केसी बेवा रूपसिंह जाति रावत निवासी आमनेर बंगला का बाडिया तहसील भीम

बनाम

1. श्री जेठसिंह पिता दूदसिंह जाति रावत निवासी आमनेर बंगला का बाडिया तहसील भीम
2. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार भीम।

प्रकरण संख्या :- 22/2014 रे0वा0.


अन्तर्गत धारा:- 53, 54 आरटीए

वादीगण का वाद पत्र इस प्रकार प्रस्तुत हुआ है कि मौजा आमनेर पटवार हल्का कालादेह तहसील भीम में वादी एवं प्रतिवादीगणों के बीच सामलाती भूमि पर वादी एवं प्रतिवादीगणों का 1/2 हिस्सेअनुसार काबिज है। जो निम्न प्रकार है:-

खसरा नम्बर	रकबा	किस्म
262	1 बीघा 6 विस्वा 10 विस्वांसी	बंजड
263	18 विस्वा	नहरी
264	6 विस्वा 10 विस्वांसी	बारानी 2
344	5 विस्वा 10 विस्वांसी	जाव2चा0 2
347	16 विस्वा 10 विस्वांसी	चाही 1 जाव 1
367	12 विस्वा 10 विस्वांसी	चाही 2 जाव 2
368	12 विस्वा 10 विस्वांसी	जाव 1 चाही 1
369	9 विस्वा	चाही 2
1450	2 बीघा 8 विस्वा	चाही 2
1452	1 बीघा 18 विस्वा	चाही 2
1453	15 विस्वा 10 विस्वांसी	चाही 2
1455	1 विस्वा	गैमुचाह
1456	17 विस्वा	चाही 2
1457	3 विस्वा	गैमु ओडा
1458	5 विस्वा 10 विस्वांसी	बंझड
2092	03 विस्वा	बंझड
2100	9 विस्वा	बंझड
2135	1 बीघा 4 विस्वा	बंझड
3195/126	1 बीघा 1 विस्वा 10 विस्वांसी	बंझड
3197/140	2 बीघा 18 विस्वा	बंझड
3275/13	16 विस्वा	बारानी 1
3279/13	1 बीघा 1 विस्वा	बारानी 2
3293/13	1 बीघा 08 विस्वा	पेटा
कुल किता 23 रकबा 20 बीघा 15 विस्वा 10 विस्वांसी		

वर्णित आराजियात प्रतिवादी करीबन 30 वर्षों से लखवे की बिमारी से पिडित होने से वादीगण ही काशत करते आ रहे हैं। प्रतिवादीगण को उपज का आधा हिस्सा देते आ रहे हैं। प्रतिवादी वृद्ध व्यक्ति होने से लखवे की बिमारी से पिडित होने एवं उसकी पत्नि तेजी उनके पीहर वालों के बहकावे में आकर उक्त जमीन को खुर्द बुर्द करने पर उतारू हो गई है। बिना बंटवारा अगर प्रतिवादी से जमीन किसी व्यक्ति को बेचान करा देने से वादीगणों को भारी हो जायेगा। क्योंकि खरीददार अगर प्रभावी होगा तो लाठी के बल पर अच्छी से अच्छी जमीन पर कब्जा कर लेगा।

अतः वादी का वादपत्र न्यायालय में लम्बित होकर राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प कालादेह में उपस्थित आपसी समझाईश से वादी एवं प्रतिवादीगण आपसी सहमति से राजीनामे के आधार पर वादीगण संख्या 1 लगायत 3 का उपरोक्त आराजियात में से 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 का 1/2 हिस्सा मौके अनुसार खातेदार काशतकार घोषित किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड अमल दरामद किया जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।


पीठासीन अधिकारी एवं
उपखण्ड अधिकारी, भीम
जिला - राजसमन्ध